

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**

—:: अधिसूचना ::—

राँची, दिनांक—.....

संख्या—15/सा०अव०—03—02/2020 का. — / भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति (संख्या—ECI/PN/67/2020 दिनांक—29.09.2020) एवं मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, राँची के पत्रांक—1397 दिनांक 29.09.2020 के आलोक में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र संख्या—10, दुमका (अ०ज०जा०) एवं विधान सभा क्षेत्र संख्या—35, बेरमो में विधानसभा उप चुनाव, 2020 के मतदान के लिए दुमका एवं बेरमो विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के सभी कार्यालयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक बैंकों में मतदान की निर्धारित तिथि—03.11.2020 (मंगलवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा—25 के तहत स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(एच० के० सुधाँशु)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक—15/सा०अव०—03—02/2020 का.—5192 राँची, दिनांक—14/10/2020

प्रतिलिपि— नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई—गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव